(1)

सं 24/322/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 9 सितम्बर, 2014

सेवा में,

श्री राजन शर्मा,
घर सं0- 16-8-240/5C,
SBI के निकट,
नलगोण्डा चौरस्ता के पास,
न्यू मलकपेट,
हैदराबाद 500024 ।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना ।

महोदय,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 20.08.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 03.09.2014 को सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपके द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचना निम्नवत उपलब्ध करायी जाती है:-

क्रम संख्या	सूचना
1	भारत का राष्ट्रगान " जन-गण-मन " भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को अंगीकार किया गया था । इस संबंध में संविधान सभा की कार्यवाही के दस्तावेज के उद्धरण जो कि 1 पृष्ठ का है, संलग्न है ।
2 एवं 3	आपके द्वारा इन बिन्दुओं में मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।
4	आपके द्वारा इस बिन्दु में मांगी गई सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। इस बिन्दु में मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए आपके आवेदन पत्र की एक प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सभा सचिवालय एवं राज्य सभा सचिवालय को अंतरित की जा रही है ।

2. इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

संलग्नकः यथोक्त ।

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रतिः (1) लोक सभा सचिवालय [श्री जे.एम. बैसाख, निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी], कमरा सं0 164, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली-110001 को श्री राजन शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2014 की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु। निवेदन है कि आवेदक द्वारा बिन्दु 4 में मांगी गई सूचना यदि उपलब्ध हो तो आवेदक को सीधे उपलब्ध करा दी जाए।

(2) **राज्य सभा सचिवालय** [श्री के पी सिंह, निदेशक (पी.पी.जी.) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी], कमरा सं0 006, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली-110001 को श्री राजन शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2014 की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु। निवेदन है कि आवेदक द्वारा **बिन्दु 4** में मांगी गई सूचना यदि उपलब्ध हो तो आवेदक को सीधे उपलब्ध करा दी जाए।

(3) अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उपरोक्त आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ इस मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

मो. श्यामला

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

CR. 344335/ RTI(Adv) /14

(540)

03/09

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 02/09/ 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री राजन शर्मा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री~~ राजन शर्मा ~~के दिनांक 20/8/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ ....से अंतरण द्वारा दिनांक 25/8/2014 को प्राप्त) को प्रशासन प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 25/08/2014 की रसीद सं. 30774 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि~~ वह बी पी ~~एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु.सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
निदेशक (एडवी)
गृह मन्त्रालय, नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली

3/9/14

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री राजन शर्मा
म० नं० 16-8-240/5-C,
SBI के बाजु, नलगोण्डा चौरस्ता के पास
न्यू मलकपेट, हैदराबाद - 500024
(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

US(P) 4/9 04/09 Mr. Vikash

— स्पीड पोस्ट से —

दिनांक 20-08-2014
बुधवार

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi-1
25 AUG 2014

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO-RTI Act'05)
सम्बंधित विभाग, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001

आदरणीय के. लो. सूचना अधिकारी जी (राष्ट्रगान विषय सम्बंधित)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) लाभार्थ जानकारी हेतु प्रार्थना

सन्दर्भ: हमारे गर्व " राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक ....." तथा उसके समकक्ष " देश भक्ति गान वन्दे मातरम, वन्दे मातरम ....."

जैसा की ~~हम~~ सब जानते है उपरोक्त, दोनो गीतो को हमारे देश के समान अधिकार प्राप्त है यद्यपि " जन गण मन अधिनायक जय है ..." को विशेषतः राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। इन्ही दोनो महान गीतो के बारे में, मैं आर. टी. आई. ~~एक्ट~~ के अन्तर्गत, कुछ जानकारी के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हुँ।

(1) वर्ष 1950 जनवरी 24 तारीख को " जन गण मन अधिनायक ..." गीत को राष्ट्र गीत ~~को~~ में स्वीकार किये जाने सम्बधित तथा साथ ही " वन्दे मातरम, वन्दे मातरम" गीत को समकक्ष रूप से मानने सम्बंधित संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के लिए भारत सरकार का कोई सरकारी आदेश / राजपत्र उस समय दिया गया था अथवा बाद में दिया गया हो तो उसकी प्रतिलिपि / टाइप कॉपी चाहिए।
(मैं यहां आपके तुरन्त ध्यान के लिए संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के सम्बंध में नेट में उपलब्ध जानकारी की प्रिन्ट कॉपी भिजवा रहा हुँ)

(2) गृह मन्त्रालय के पास उपरोक्त दोनो महान गीतो / गान की सरल हिन्दी भाषा में / देवनागिरी लिपी में ~~आधारित~~ अधिकारिक व्याख्या / वर्णन जरूर होगी, कृपया सम्बंधित व्याख्या / वर्णन की प्रतिलिपी / टाइप कॉपी मुझे भिजवाये।

(3) गृह मन्त्रालय के पास उपरोक्त दोनो गीतो / गान " जन गण मन अधिनायक .." और " वन्दे मातरम वन्दे मातरम" जैसा की सरल हिन्दी / देवनागिरी लिपी में व्याख्या / वर्णन उपलब्ध होगी, क्या गृह मन्त्रालय के पास भारतीय अन्य भाषाओं में भी उसी तरह की व्याख्या / वर्णन उपलब्ध है कृपया उन भाषाओं को सिर्फ नाम बताये। अभी इनकी प्रतिलिपी / टाइप कॉपी की आवश्यकता नही है। सिर्फ उपलब्धता की जानकारी चाहिये।

(4) 1950 संविधान सभा द्वारा पारित " जन गण मन " राष्ट्रगीत सम्बन्ध में बाद के ~~कोई~~ वर्षो में अभीतक भारतीय संसद में कभी कोई और प्रस्ताव पास हुआ हो तो उसकी प्रतिलिपी अथवा टाइप कॉपी भेजने की कृपा करे।

इस प्रार्थना सम्बंध में आर. टी. आई. फीस रु. 10/- (दस रुपये) का पोस्टल आर्डर आपके मन्त्रालय के नाम का भेज रहा हुँ। कृपया उपरोक्त मांगी हुई जानकारी (Speed post) भिजवाने का कष्ट करे। धन्यवाद

आर. टी. आई. आवेदक
राजन शर्मा

संलग्न: नेट कॉपी सूचनार्थ तथा पोस्टल आर्डर Rs 10/- value No. 29F 404266

पता: राजन शर्मा, घर. न. 16-8-240/5C, SBI के बाजु नलगोंडा चौरस्ता के पास, न्यू मलकपेट हैदराबाद - 500024
RAJAN SHARMA, H. No. 16-8-240/5C Besides lane to SBI, Near Nalgonda Cross Road, New Malakpet Hyd...

CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA - VOLUME XII

Tuesday, the 24th January 1950

The Constituent Assembly met in the Constitution Hall, New Delhi, at Eleven of the Clock, Mr. President (The Honourable Dr. Rajendra Prasad), in the Chair.

TAKING THE PLEDGE AND SIGNING THE REGISTER

The following Members took the Pledge and signed the Register :-

Shri Ratnappa Bharmappa Kurnbhar (Bombay States).

Dr. Y. S. Parmar (Himachal Pradesh).

STATEMENT RE: NATIONAL ANTHEM

Mr. President: There is one matter which has been pending for discussion, namely the question of the National Anthem. At one time it was thought that the matter might be brought up before the House and a decision taken by the House by way of a resolution. But it has been felt that, instead of taking a formal decision by means of a resolution, it is better if I make a statement with regard to the National Anthem. Accordingly I make this statement.

The composition consisting of the words and music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India, subject to such alterations in the words as the Government may authorise as occasion arises; and the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. (Applause). I hope this will satisfy the Members.

English translation

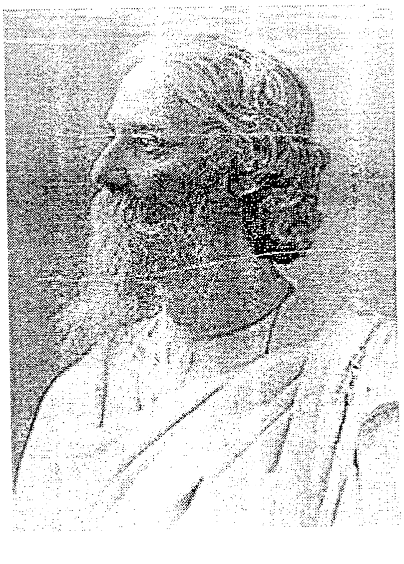

Rabindranath Tagore